

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 12/2009

1. श्री सावरलाल
2. श्री बाबूलाल
पुत्रगण श्री बालू जाति नायक
निवासीगण ग्राम बडली तहसील भिनाय, जिला अजमेर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री सूवालाल (मृतक) जरिये वारिसान:-
1/1 श्रीमती सरबती देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल
1/2 श्री गोपाललाल
1/3 श्री चांदमल
1/4 श्री बबलू उर्फ भागचन्द
पुत्रगण श्री कन्हैयालाल
समस्त जाति मोची निवासीगण ग्राम बडली तहसील भिनाय जिला अजमेर
1/5 श्रीमती मंजू पुत्री श्री कन्हैयालाल पत्नी श्री ओमप्रकाश जीनगर
निवासी शाहपुरा कोली मोहल्ला, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. उपखण्ड अधिकारी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :-

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अप्रार्थी संख्या 1 के वारिसान की ओर से
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील ।

—: आदेश :-

दिनांक 11.05.2016



अपर कलक्टर
अजमेर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 26.11.1975 को ग्राम देवलियाकंला तहसील भिनाय जिला अजमेर में आयोजित राजस्व कैम्प में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री सूवालाल जाति मोची निवासी ग्राम बडली तहसील बडली जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम बडली के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 599 हाल खसरा नम्बर 484/5810 रकबा 4 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किए गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरुद्ध बताते हुए आवंटन निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है। प्रकरण के विचाराधीन रहते अप्रार्थी की मृत्यु हो जाने पर मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाकर पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थन पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का पूर्वजों के समय से निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित भूमि तत्समय में नाकाबिल काश्त बंजड व ऊबड खाबड भूमि थी जिसे प्रार्थीगण द्वारा काफी धन खर्च कर तथा काफी मेहनत से काबिल काश्त बनाया है। उनका यह भी कथन है कि तहसीलदार भिनाय के आदेशानुसार पटवारी हल्का द्वारा मौका एवं कब्जे काश्त की वास्तविक स्थिती की मौतबिरान की उपस्थिती में जांच करने पर जांच रिपोर्ट दिनांक 15.05.2009, 12.06.2009 एवं 25.06.2009 अनुसार प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर उनके पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त होने की पुष्टि करने के साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा विवादित भूमि पर कभी भी काश्त नहीं करना मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया है। साथ ही यह भी दर्शाया गया है कि विवादित भूमि प्रार्थीगण के परिवार नायकों की बीसों के नाम से जानी जाती है। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि के आवंटन दिनांक 26.11.1973 से लेकर आज तक अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा कभी भी विवादित भूमि पर काश्त नहीं की गई जबकि नियम 14(3) के प्रावधानों के अनुसार आवंटी को भूमि आवंटन पश्चात प्रथम वर्ष में 1/2 भाग पर तथा दूसरे वर्ष में सम्पूर्ण भूभाग पर काश्त करना आवश्यक है इसी प्रकार अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.R.T. 2002(1) पेज 369 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किया कि आवंटन अधिकारी द्वारा विवादित भूमि आवंटन से पूर्व न तो कोई उद्घोषणा जारी की गई तथा न ही रिक्त भूमि की सूची बनाई गई इसके अतिरिक्त वरवक्त आवंटन कमेटी का कोरम भी पूरा नहीं था बिना आवंटन कमेटी का कोरम पूरा हुए कमेटी द्वारा की गई समस्त कार्यवाही प्रभाव शून्य है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.R.D. 1993 पेज 652 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि वरवक्त आवंटन अप्रार्थी भूमिहीन कृषक



अपर कलक्टर
अजमेर

नहीं था बल्कि भू आवंटन एवं नियमन में दर्शाये प्रावधानों के अनुसार इनके पास सीमा से अधिक भूमि थी इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छिपाकर विवादित भूमि का आवंटन करवाया गया है जो निरस्त योग्य है। उन्होंने कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 16.06.2009 को विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होना अंकित करते हुए तहसीलदार भिनाय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि का कब्जा दिलवाने एवं सीमाज्ञान करवाने का निवेदन किया गया जिस पर पटवारी हल्का से मौके की वास्तविक स्थिति की जांच करवाई गई। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.06.2009 में अंकित किया कि अप्रार्थी का विवादित सीमाज्ञान के जरिये कब्जा प्राप्त करने की मंशा प्रतीत होती है। मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा दर्शाया गया है तथा उन्ही के द्वारा विवादित भूमि मिट्टी डालकर काबिल काश्त की गई है। खसरा गिरदावरी संवत् 2040 लगायत 2063 में अप्रार्थी द्वारा किसी भी वर्ष विवादित भूमि पर फसल काश्त होना अंकित नहीं है अर्थात् विवादित भूमि पडत ही रही है। उन्होंने कथन किया कि प्रार्थीगण गरीब परिवार के अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा भूमिहीन कृषक है इसके साथ ही प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि विवादित आराजी से लगती हुई है जिस पर प्रार्थीगण के द्वारा ही पूर्वजों के समय से आज दिवस तक काश्त की जाती रही है। नियमानुसार कृषि हेतु भूमि का आवंटन करते समय यदि भूमि अतिक्रमी के कब्जे में है तथा अतिक्रमी यदि भूमिहीन कृषक है तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवंटन की कार्यवाही की जानी चाहिये। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने न्यायालय का ध्यान R.R.T. 2008(2) पेज 920 व R.R.T. 2002(1) पेज 162 पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 1 के पति/पिता ने प्रारंभिक एतराज दर्ज करवाते करवाते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ विवादित भूमि के आवंटन आदेश की सत्यप्रति संलग्न नहीं की गई है जबकि नियमानुसार जिस आदेश को चुनौती दी जा रही है उस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा रेवेन्यू कोर्ट मेन्युअल पार्ट II के नियम 30 के अन्तर्गत इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है कि प्रमाणित प्रति अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी। प्रार्थीगण द्वारा न तो आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश की गई है तथा न ही नियम 30 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.R.D. 1980 पेज 228 व R.R.D. 1992 पेज 129 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निरस्त करने का कथन किया। वकील अप्रार्थी का यह भी कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथन झूठे व बेबुनियाद है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उनके पक्ष में विधिवत विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। वरवक्त कमेटी का कोरम पूरा था। नियमानुसार तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। आवंटन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि



अपर कलक्टर
अजमेर

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावें।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेंटस के पक्ष में नियमों के अन्तर्गत पूर्ण जांच पश्चात आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। रेकार्ड पर ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए हैं जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो कि आवंटियों द्वारा तथ्यों को छिपाकर छल कपटपूर्वक आवंटन करवाया हो अथवा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया हो। हम वकील रेस्पोंडेंटस के इन कथनों से सहमत हैं कि खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। वकील प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि पर उनका पूर्वजों के समय से कब्जा काशत चला आ रहा है, अपने कथनों के समर्थन में उन्होंने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वरवक्त आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण था। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नियम 14(3) में संशोधन कर इस शर्त को विलोकित कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के पति/पिता के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन दिनांक 26.11.1975 को किया गया है, इतनी लम्बी अवधि लगभग 40 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र केवल रेस्पोंडेंटस को परेशान करने एवं उनकी भूमि हड़पने की नीयत से प्रस्तुत किया गया है। फलस्वरूप प्राथना पत्र सारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11.05.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।



(किशोर कुमार)
(अपर कलक्टर)
अपर कलक्टर अजमेर